

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी— श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या— 16/2022

बउनवान

भीमराज आयु 57 वर्ष पुत्र श्री अमर लाल, जाति मीणा निवासी ग्राम उण्डा तहसील बारां जिला—बारां (राज०)

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें नायब तहसीलदार बारां, जिला बारां

(रेस्पोंडेंट)



अपील धारा—75 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :—1. श्री ज्ञान प्रकाश शर्मा, अभिभाषक
2. परोकार सरकार


(अपीलांट)

(रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक 18.08.2022

अपीलांट ने जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 25.02.2022 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा—75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम—उण्डा तहसील—बारां की आराजी खसरा नम्बर 78 रकबा 0.20 है. किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 100/—रूपये अर्थदण्ड एवं 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का अवसर दिये बगैर हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार के आधार पर सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में बेदखलीनामा व पैमाईश रिपोर्ट शामिल नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमी माना है जबकि अपीलांट का वर्णित आराजी पर कोई अतिक्रमण नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.02.2022 निरस्त फरमाया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जयें सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया  अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया।

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

दौराने बहस अभिभाषक अपीलान्त उपस्थित नहीं हुए। अपीलान्त स्वयं भी अनुपस्थित है। ऐसी स्थिति में हमने परोकार सरकार की एकपक्षीय बहस समाप्त कर प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण करने का विनिश्चय किया।


परोकार सरकार ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलान्त विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को पूर्व में भी उक्त आराजी पर अतिचार करने पर मिसल नम्बर 291/20 निर्णय दिनांक 04.03.2020 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने एकपक्षीय बहस परोकार सरकार की सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चात्वर्ती अतिक्रमी होने के संबंध हल्का पटवारी के बयान के अतिरिक्त अन्य कोई प्रमाण संलग्न नहीं किया है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलान्त के प्रति सहानुभूति का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना हम उचित समझते है।

परिणामस्वरूप, अपीलान्त की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, बारां द्वारा पारित बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 194/2022 में पारित निर्णय दिनांक 25.02.2022 से दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलान्त विवादित आराजी से कब्जा छोड दें तथा नायब तहसीलदार, बारां के समक्ष एक माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिंग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तो अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, बारां द्वारा निर्णय दिनांक 25.02.2022 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, बारां द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.02.2022 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 18.08.2022 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।




(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलेक्टर बारां
बारां (राज.)